



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, डॉ० राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 183/12

निर्णय दिनांक:-05.06.2018

1. मघाराम पुत्र छत्तुराम जाति जाट निवासी पोहड़का तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

अपीलांट

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-05-1998  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:-

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 30-05-1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने सबूतों के अभाव के कारण खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील पूगल का गरीब चयनित परिवार का काश्तकारी पेशा भूमिहीन किसान है। अपीलांट द्वारा चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के

मुरब्बा नम्बर 78/23 की 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था जो लम्बे अर्से बाद वर्ष 1998 में अपने रिकार्ड पर लेकर बिना सूचना दिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट को सबूत पेश करने का नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के किसी भी प्रकार के सबूत पेश नहीं किये हैं। अतः वांछित सबूत के अभाव में आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

अपीलांट ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब न तो कोई तारीख पेशी बताई गई थी तथा ना ही सबूत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 05-09-12 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-05-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 05-09-2012 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।  
  
(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष चक 3 एमजीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 78/23 की 25 बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 12-05-1998 को नोटिस जारी किया गया कि वे आवंटन हेतु वांछित सबूत यथा भूमि तस्दीक प्रमाण पत्र, सद्भाविक कृषक का प्रमाण पत्र, वर्ष 1971, 1980, 1985, 1993 की वोटर लिस्ट की सूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करें।  
  
(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सबूत प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया कि वे स्वयं सबूतों सहित उपस्थित आवे। किन्तु अपीलांट ना तो आवंटन आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं आया और ना ही आवंटन अधिकारी के समक्ष सबूत आदि पेश किये। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन आदेश प्राप्त करने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा आवेदक के उपस्थित नहीं होने व सबूतों के अभाव में अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति की राय से खारिज किया गया है तथा खरिजी की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। जो विधि सम्मत है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलाट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन का आदेश दिनांक 30-05-1998 बहाल रखा जाता है।
8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ० राकेश कुमार शर्मा)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बीकानेर